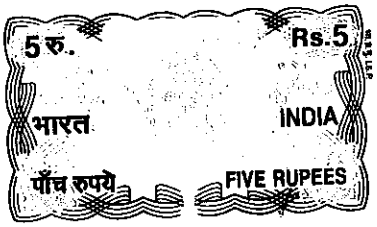

(15)

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

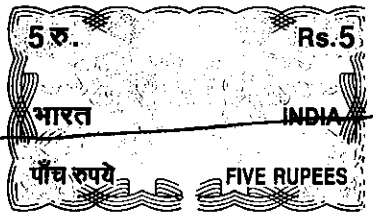

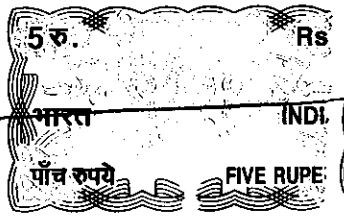

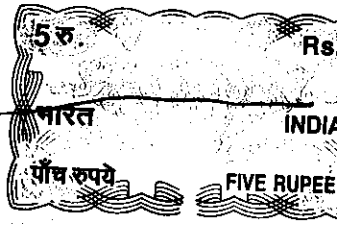

न्यायालय श्री माननीय राजस्वमण्डल खण्डपीठ रीवा सम्भाग रीवा म0 प्र0

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs भारत INDI पाँच रुपये FIVE RUPE

5 रु. Rs भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEE

RS159-II/16

Rs-20

1. रविकान्त पिता विशम्भर प्रसाद द्विवेदी आयु 28 वर्ष

2. चिन्तामणि पिता फूलचन्द्र गुप्ता आयु 65 वर्ष

दोनो निवासी ग्राम सुरदहा खुर्द (मझगवाँ) तहसील नागौद जिला सतना म0 प्र0----

आवेदक/निगराकार

बनाम

आम जनता द्वारा ग्राम पंचायत सुरदहा खुर्द पटवारी हल्का सुरदहा तहसील नागौद जिला सतना म0 प्र0----

अनावेदक

श्री. जसराम विश्वकर्मा एड द्वारा आज दिनांक 29.3.16 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध नायब तहसील दार वृत्त जसो आदेश दिनांक 23-2-2016 एवं पटवारी प्रतिवेदन जाँच प्रकरण क्र. 102974-15- अन्तर्गत धारा 51 भू0 रा0 सं0।

मान्यवर,

प्रार्थी/ निगराकार नीचे लिखे अनुसार निगरानी प्रस्तुत करते है:-

1. यह कि निगराकार ग्राम पंचायत सुरदहा खुर्द (मझगवाँ) के अन्तर्गत गरीबी रेखा के अन्तर्गत राशन कार्ड सन् 2003-204 में पात्र होने से गरीबी रेखा की सूची के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति है।

2. यह कि ग्राम पंचायत सुरदहा खुर्द सरपंच के द्वारा आपसी स्थान राजनीति रंजश होने के कारण एक झूठी शिकायत पटवारी हल्का से मिली भगत होकर निगराकार गणों के नाम गरीबी रेखा सूची से हटवाये जाने का षडयंत्र कर हुये निगराकार के विरुद्ध नायब तहसील दार वृत्त- जसो के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगराकार के गैर जानकारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निग0 5159–दो/2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश रविकान्त विरूद्ध आमजनता सुरदहा	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–11–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री जसराम विश्वकर्मा उपस्थित। उन्हें प्रकरण में कायमी के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हे यहां पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर बिचार किया जा रहा है। निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं पर बिचार किया गया तथा निगरानी मेमो के संलग्न आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति का भी अवलोकन किया गया। निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 23.02.2016 का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रकरण में मुख्य रूप से गरीबी रेखा की सूची से नाम हटाए जाने की कार्यवाही के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश जारी किया गया है, ऐसी स्थिति में विवादित बिन्दु के संबंध में इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः क्षेत्राधिकार वाह्य होने से यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि.हो। सदस्य	